£1=5966 548

सूचना चाहने के लिये आवेदन का प्ररूप संख्या 3

[घारा ४(१) राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५, देखिये]

	TO,							
		कार्यालय लोक सूच						
		कार्यालय SECR		7		B		rigip in The
		DIO REVEN		Tive res	STEEL ST			
		MO FINAI	HIP	- 19				
	1.	आवेदक का नाम	130	आबाीप		अ	<u>ц 39</u>	.वर्ष
	-	पिता का नाम	4	Traine	1000		> 10	स्पाह) ८-८-
				29. Т	1 5 301	14 41	os u (ETHIEL)
	2.	पता	-:-	आपकी	200	THOUT S		177-15
			-	पिन कीड	77 1 60 7	,	C13 47	10, 0,-
				पिन कीड़	मोबा.	नं8	582 9	6196
	3.	सूचना से संबंध	: 0	केन्द्रीय	नारकारि	वस्त वर	त्र भ	ङांदुक्रभा
	4.	सूचना की विशिष्टि	यां :	1-	13/44 0	रावंद	1 +1	
		(i) उस विभाग/		का नाम, जिसर			101.24	7704
		SECT	LETA	RY				
1	fa-	*******************************	REVE	***************************************		Tible St	o Act Mether	
Gara	14414	MIO	FINE	INCE	Niger i	mariami m	Selvenie	
/ प्राप्त डा. सं.				LHT	Dinas	1,694)	7 0 /201	9
* 16 OC	T 2014	(ii) सूचना की प्रव	^	0	محبيا	- Company		
1 6 00	1 2011	र्रान्म	21 97	ाधालय	से छाए	יכע ד	42 0	77
Receipt No		नाप वा	ही की	ने गई	দোলন	वावत		
Port. of F	Sanghue	/						
011	10.	(iii) सूचना के पूर्ण	ब्यौरे					
		3-1-71-00	200	<u> </u>	nhimition for for Ande	9		94
1914		श्रुचना के	Uni	15 601	स्त रा	19 PH	001 -	alegie!
1 Lot		सम्बद्ध जा	2013	ELIZATI	471 441	ध का	E) 9	गंधवाही क
11	5.	क्या फीस के संदाय	का सबत	मंत्रान कर दिश	, α <i>γ</i> , α _γ ,	21 472		
/		R. P.	. र लाज	के उरेती र	1000		हां/नही	
1		क्या फीस के संदाय B · P पोस्टल आर्डर नं		दिनांक_13	-10-2014	Rs		
pr7	मैं यह	और कथन करता है	हूं कि चाह	ही गयी सूचना	अधिनियम	की धारा 5	में अन्तवि	ष्ट
1111		के अंतर्गत नहीं आती				A		
101								
	स्थान :	कोरा			,	Zijaji	y yied	u
	दिनांक :	13-10-2014				आवेदक व	े हस्ताक्षर	1
	समय :	3:10		नाम 310	शीप पारेप	पत्र २व	: 911 24	ी इनाय पार्गेर
				आय 3	🧎 वर्ष जाति	वार्	01	
				निवासी	31122	MINITE	HTOIT	रोंड काया
					80582			
	उक्त आ	वेदन की एक प्रति आ	गामी कार्र				***********************	
	-11	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11 11 4719	मनम् स्युत्तान	ता रखला प	5 61		

सूचना का अधिकार

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकारी लागू किया है। सूचना आयोग तथा विभिन्न राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। भारत सरकार की इस नई पहल का अधिकार लाभ सुनिश्चत करने के उद्देश से कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्न प्रकार है।

सूचना कैसे लेगें?

सभी विभागों में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके पास जाकर सूचना के लिए अर्जी दे सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन देकर सम्बंधित अधिकारी से अर्जी जमा कराने की रसीद जरूर लेनी चाहियें। अर्जी के साथ 10/-रूपये की आवेदन फीस जमा करानी होगी। बी.पी.एल. परिवारों से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

फीस :-

सूचना की प्रतियों के लिए 2/-रूपये प्रति पेज फीस लगेगी। यदि दस्तावेजों का निरीक्षण कराना चाहते है तो पहले एक घण्टे तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। एक घण्टे के बाद हर 15 मिनट निरीक्षण करने का 5/-रूपये शुल्क देना होगा।

अपील:-

यदि अर्जी लगाने के बाद 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है तो बाद मे अपील कर सकते है। सरकार ने तहसील स्तर पर तहसीलदार, उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) को सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एस.डी.एम.) को जिला लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया हैं। जहां अपील कर सकते है। इसके निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर अगली अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती है।

जर्माना 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देने, गलत या भ्रामक सूचना देने पर सम्बंधित अधिकारी पर 250 / — रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 / — रूपये तक हो सकती है।